

विषय:- बीपीसी ले-आउट प्लान की 55वीं बैठक दिनांक 24.9.03 का कार्यवाही विवरण ।

क्र.सं.	विषय	आतेदार/गृ.नि.सं. समिति का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	जोन निर्णय
1.	दी फोरेस्ट व्यू. हो.को. ओ. सो. के अनुमोदन के संबंध में	दी फोरेस्ट व्यू हा. को.सो.	नन्द विहार	मनौहर पुरा	83 से 91	सहकारी समिति ने योजना में कोई फेसिलिटी एरिया नहीं दर्शाया है । योजना में आवासीय क्षेत्रफल 75.53% है तथा निर्मित भूखण्ड 23.02% है इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि दैनिक अखबारों में यह नोटिस दिया जावे कि सहकारी समिति आवासीय व सुविधा क्षेत्र, सड़क - का 60:40 अनुपात में संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करें तथा इसकी सूचनाका वरुपा अध्यक्ष हा.को.सो. के यहां व मौके पर भी लगाया जावे ।
2.	हथरोईगढी गृ.नि.सं. स. की योजना शंकर	हथरोईगढी गृ.नि.सं. समिति	शंकर विहार विस्तार	सवाई गैटोर	558 से 889	सहकारी समिति ने योजना में कोई सुविधा क्षेत्र नहीं छोडा है । योजना में आवासीय क्षेत्रफल 75.19% है तथा निर्मित भूखण्डों का प्रतिशत 31.5% है इसलिए समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि दैनिक अखबारों में यह नोटिस निकाला जावे कि आवासीय, सुविधा क्षेत्र सड़क का 60:40 के अनुपात में संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करें । इस सूचना का वरुपा अध्यक्ष हा.को.सो. के यहां व मौके पर भी लगायी जावे ।

२

3.	श्री महाराज गोपालपुरा गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के अनुमोदन के संबंध में ।	श्री गोपालपुरा गृ. नि.स.समिति	हनुमान नगर बिन्दायका	123 नया 229	<p>योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-</p> <p>1- राजस्थान आवासन मण्डल में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर योजना का विद्यमान किया जावे ।</p> <p>2- सेक्टर प्लान में सेक्टर रोड़ 40'-0" प्रस्तावित है जबकि मौके पर 28 फीट से 40 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 40'-0" की जावे ।</p> <p>3- दुकाने अस्वीकृत की जावे ।</p> <p>4- 80' व 100'-0" फीट सेक्टर रोड़ में आने वाली भूखण्डों की गहराई कम की जावे ।</p> <p>5- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30'-0" की जावे ।</p>
----	---	----------------------------------	----------------------	----------------	--

4.	जल महल हा.को.सो. की योजना रामकृष्णपुरम के अनुमोदन के संबंध में ।	जल महल हा.को. सोसायटी	रामकृष्ण पुरम	दुर्गापुरा	252, 259 नखीन 526, 427, 428	<p>योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-</p> <p>1- मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग नर्सरी आर्वार्ड है इसलिए नर्सरी आर्वार्ड से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।</p> <p>2- योजना के बाहर के भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।</p> <p>3- 30 फीट चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे ।</p>
----	--	--------------------------	------------------	------------	--	---

4- 30 फीट से कम चौड़ी सड़कों को 30-0" किया जावे ।
 सड़कों की चौड़ाई 30 फीट किये जाने पर योजना में आवासीय क्षेत्रफल 73.39% है तथा 82.8% मोके पर निर्मित भूखण्ड है । समिति 70% तक आवासीय क्षेत्रफल को नियमन करने में सक्षम है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में निर्णय हेतु पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

5- दी राजहंस को.सो. दी राजहंस को.सो. विष्णु चैनपुरा 49
 के संबंध में । एन्क्लेव

योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-
 1- सेक्टर रोड 60-0" में आने वाले भूखण्डों की गहराई कम की जावे तथा जिससे जिन भूखण्डों में आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।
 2- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावे ।
 3- 231.00 व.ग. सरकारी भूमि की राशि ली जावे ।
 4- भू.सं. 21 में इमशान है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे ।
 5- 60-0" सेक्टर रोड पर 10'-0" का सेट बैक रखा जावे ।

(Handwritten signature)

योजना बजाज नगर से हवाई अड्डा योजना की अवाप्ती में है। योजना में आवासीय 73.24% है मौके पर निर्मित भूखण्ड 45% है। समिति 70% आवासीय क्षेत्रफल तक ही नियमन करने में सक्षम है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु पत्रावली भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6.	शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना शंकर विहार ॥ई॥ के नियमन के संबंध में	शिव शंकर गृ.नि. स.समिति	शंकर विहार ॥ई॥	सवाई गैटोर	565,570, 564	4	सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में कोई सुविधा क्षेत्र नहीं दर्शाया है इस योजना में आवासीय क्षेत्रफल 69.31% है मौके पर 21.5% भूखण्ड ही निर्मित है इसलिए समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि दैनिक अखबारों में यह नोटिस निकाला जावे कि आवासीय क्षेत्रफल, सुविधा क्षेत्र, सड़क 60:40 के अनुपात में संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करें तथा इसकी सूचना चरपा अखबार हा.को.सो. के यहां व मौके पर भी लगायी जावे
12.	हथरोईगढी गृ.नि.स.स. की योजना विवेक विहार TT के अनुमोदन के संबंध में	हथरोईगढी गृ.नि. स.समिति	विवेक विहार TT	जगतपुरा	62,53	4	योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:- 1- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावे। 2- दुकानें अस्वीकृत की जावें।

3- भू.सं. 6 व 6ए में मकान बन गया है इसलिए लिंक नहीं दिया जावे ।

योजना में आवासीय प्रतिशत 75.07% है आवासीय भूखण्ड 71.1% निर्मित है । समिति 70% तक ही आवासीय भूखण्डों का नियमन कर सकती है इसलिए राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु पत्रावली भिजवायी जावे ।

13.	हथरोई गढी गृ.नि.स. स. की योजना गणेश नगर के अनुमोदन के लिए	हथरोई गढी गृ.नि.स. स.समिति	गणेश नगर	झाला ना	5	विचार-विमर्श पश्चात् योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।
14.	किसान गृ.नि.स.स. की योजना इन्कमटेक्स कालोनी स्कीम नं. 2 के संबंध में ।	किसान गृ.नि.स. समिति	इन्कमटेक्स कालोनी स्कीम नं.2	बिन्दायका	122,122/ 212	4 योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्ती में है इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही नियमन किया जावे । 2- योजना में 30-0" में कम चौड़ी सड़कों को 30-0" किया जावे । 3- भू.सं. 17,79,180 के मध्य 40-0" चौड़ी सड़क को शिव शक्ति नगर योजना से लिंक किया जावे । 4- योजना में सेक्टर प्लान के अनुसार 100-0" चौड़ी सड़क रखी जावे ।



15.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि. स.स. की योजना रामेश्वरम स्कीम नं.19 के संबंध में ।	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स.	रामेश्वरम स्कीम नं.19	छोटावास	446से449 453,52, 57,450, 451	4
-----	--	-----------------------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------	---

योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

1- मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग नर्सरी — आर्वार्ड है इसलिए नर्सरी आर्वार्ड से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।

2- योजना में माफ़ी मन्दिर की भूमि में होटल है इसलिए इसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावे एवं एफ.बार्ड-आर दर्ज करायी जावे ।

3- राजस्थान विद्युत मण्डल की भूमि पर स्थित भूखण्ड अस्वीकृत किये जावे ।

4- प्राधिकरण की भूमि की राशि नियमानुसार ली जावे ।

5- 60 सेक्टर रोड़ में आनेवाले भूखण्डों की गहराई कम की जावे ।

6- योजना के अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावे ।

7- भू.सं. 1ए में से एच.टी. लाईन गुजरती है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे ।

योजना में आवासीय 73.46% है । समिति 70% तक ही नियमन करने में सक्षम है इसलिए स्वीकृति हेतु पत्रावली राज्य सरकार को भिजवायी जावे ।

32

16. भू.सं. 498 निर्माण नगर
॥सी॥ में मौके पर बटे
क्षेत्रफल के संबंध में ।

नितिगत निर्णय :-

स्वीकृत योजना मानचित्र में मौके की स्थिति
के अनुरूप भूखण्डों की साइज में परिवर्तन सेट
बैक में परिवर्तन व अन्य प्रकरणों के संबंध में
जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत करने के
संबंध में ।

18. माधव गृ.नि.सं.
सं. की योजना
मौती नगर के
संबंध में ।

माधव गृ.नि.सं.
समिति

मौती नगर

मौके पर ब्लॉक में सभी भूखण्डों की नापों के पश्चात्
भू.सं. 498 में मौके पर 75'-0" x 75'-0" की भूमि
उपलब्ध है तथा सहकारी समिति द्वारा भी 75' x 75'
का आवंटन पत्र व साइट प्लान दिया हुआ है इसलिये
समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. 498 का
75' x 75' का नियमन करने का निर्णय लिया गया

नितिगत निर्णय :-

विचार-विमर्श पश्चात् नितिगत निर्णय लिया कि
भूखण्ड की साइज में परिवर्तन, सेट बैक परिवर्तन व
अन्य व्यक्तिगत भूखण्डों के संबंध में पत्रावली पर
जयपुर विकास आयुक्त को निर्णय करने के संबंध
में अधिकृत किया गया ।

समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि
भू.सं. 6 मौती नगर की नाप 63' x 45' के स्थान पर
56' x 45'-0" की जावे तथा सड़क की चौड़ाई 60'-0"
रखते हुए दूसरी साइड चम्पा नगर में भी 5'-0"
चौड़ाई की भू-पट्टी ली जावे ।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आऊट प्लान) की 54वीं बैठक दिनांक 17.9.03 का कार्यवाही विवरण।

क्र. सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सेक्टर नं.	जोन	निर्णय
7	एकता विकास समिति योजना युवराज विहार	एकता विकास समिति	युवराज विहार	बढ़ारना	1218,1214, 1219, 1225 1221, 1223		2	प्रकरण को स्थगित करते हुए निर्णय लिया गया कि चूंकि यह योजना राजकीय भूमि पर सृजित है अतः योजना में रिक्त भूखण्डों का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा तुरन्त लिया जावे।
8	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स. स. की योजना नेहा नगर (ग्राम मथुरावाला व बीलवा)	बाबा आर एन गौड गृ.नि.स.स.	नेहा नगर (ग्राम मथुरावाला व बीलवा)	मथुरावाला	15,16,715, 714, 713, 712., 710, 708 आंशिक,705		11	नेहा नगर योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है एवं अभी इस क्षेत्र का सेक्टर प्लॉन तैयार नहीं है अतः प्राधिकरण की 50वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण को स्थगित रखा जावे।
9	श्री गणपति गृ.नि.स.स. योजना सेन्सस कालोनी दयालपुरा	श्री गणपति गृ. नि.स.स.	सेन्सस कालोनी दयालपुरा	दयालपुरा	2		11	सेन्सस कालोनी योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है एवं अभी इस क्षेत्र का सेक्टर प्लॉन तैयार नहीं है अतः प्राधिकरण की 50वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण को स्थगित रखा जावे।
10	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स. स. की योजना फेन्डस कॉलोनी	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.	फेन्डस कॉलोनी	निवारु	360, 368 369 360 376 तक		11	प्रकरण को स्थगित रखते हुए निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन पूर्ण तथ्यों सहित परीक्षण कर, प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करेंगे।

2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:- भवन मानचित्र समिति ले-आउट प्लान की 55वीं बैठक दिनांक 24.9.2003

क्रम सं.	विषय	छातेदार/गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा जोन नं.	निर्णय
11	भूखण्ड संख्या 189 व 190 शिवाजी नगर, गुलाब बाँड़ी गृ.नि.स.स. के सम्बंध में।	गुलाबबाँड़ी गृ.नि.स.स.			6	उपायुक्त जोन-6 के सुझाव के अनुसार मौके पर उपलब्ध 30 फीट सड़क को अनुमोदित किया गया और भूखण्ड 189-ए को विलोपित किया गया।
17	लक्ष्मीनारायणपुरी गृ.नि.स.स. के सम्बंध में।	लक्ष्मीनारायणपुरी गृ.नि.स.स.	ब्रज कॉलोनी			सहकारी समिति द्वारा संगीधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जोन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र को एजेण्डा के बिन्दु सं.2 से 7 के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए संगीधित मानचित्र को अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार किया गया।

- 19 सेक्टर नं.43 के अनुमोदन बाबत।
- 11-B 1. कालवाड़ रोड़ के उत्तर में और जक्विया की करधनी योजना के बीच से गुजर रही मास्टर विकास योजना 2011 की 200 फीट चौड़ी सड़क को एजेण्डा में वर्णित कारणों से सहमत होते हुए विलोपित किया गया।

(Handwritten mark)

क्रम सं. विषय

खानेदार/गृ.नि. योजना का ग्राम का खसरा जोन निर्णय
स.स.का नाम नाम नाम नं.

2. मास्टर विकास योजना में जयकरणी नगर से दक्षिण में 200 फीट चौड़ी रोड़ प्रस्तावित है, जिसका अलायमेंट निवारु रोड़ के साथ-साथ ट्राई जंक्शन तक जहाँ से निवारु रोड़, निवारु गाँव को जाती है। वहाँ तक 200 फीट व उसके पश्चिम में सीधे 200 फीट का अलायमेंट तय किया गया और मास्टर प्लान की पूर्व रोड़ को विलोपित किया गया। उपायुक्त जोन-11बी तदनुसार जयकरणी नगर में संशोधन प्रस्तावित करें।
3. कालवाड़ रोड़ के उत्तर में जिक्रा की करधनी योजना से गुजर रही 200 फीट चौड़ी रोड़ और कालवाड़ रोड़ के बीच के क्षेत्र का भू-उपयोग पब्लिक यूटिलिटी के आवासीय किये जाने की स्वीकृति दी गई।
4. सम्बंधित उपायुक्त सेक्टर प्लान क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि दर्शा कर प्रोजेक्ट सैल में भेजें ताकि उनका भू-उपयोग निर्धारित किया जा सके। उक्त प्रस्तावों सहित रोड़ सेक्टर प्लान को अनुमोदित किया गया।

20 सेक्टर 44 के
अनुमोदन बाबत।

1. सम्बंधित उपायुक्त सेक्टर प्लान क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि दर्शाकर प्रोजेक्ट सैल में भेजें ताकि उनका भू-उपयोग निर्धारित किया जा सके। उक्त प्रस्ताव सहित रोड़ सेक्टर प्लान को अनुमोदित किया गया।

21 सेक्टर 46 के अनुमोदन
बाबत।

1. निवारु रोड़ 160' व नांगल जैसा बोहरा रोड़ 100' जहाँ अण्डर पेसेज निर्मित है के समीप 12, 12 मीटर की सर्क्स रोड़ ऐलीवेटेड सड़क पर चढ़ने एवं उतरने हेतु रखे जाने का प्रावधान किया जावे। ताकि इस क्षेत्र में आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी के दबाव को सहन किया जा सके। उक्त संशोधन के साथ सेक्टर 46 का अनुमोदन किया गया।
2. रजि-डा सर्वे 19 के निर्माण के विन्दु सर्वे 4 के अनुसार भी कार्यवाही सम्पादित की जाय

32

क्र. सं.	विषय	छातेदार का नाम/समिति का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	सेक्टर नं.	खसरा नं.	जोन नं.	निर्णय
----------	------	-----------------------------	--------------	--------------	------------	----------	---------	--------

22. सेक्टर 47 के अनुमोदन बाबत ।

- निम्नांकित प्रावधानों सहित सेक्टर 47 को अनुमोदित किया गया।
1. सीकर रोड़ से दादी के फाटक को जाने वाली सड़क जो क्विक्वर्मा औद्योगिक क्षेत्र से झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र को मिलाने हेतु महत्त्वपूर्ण रोड़ है। अतः भविष्य में आबादी विस्तार से बढ़ते हुए यातायात के मद्देनजर इस सड़क की चौड़ाई 130' ही रखी जावे। भविष्य में इस सड़क पर जब भी आर.ओ.बी. बनाया जावेगा तब आर.ओ.बी.के एलायन्टमेंट से प्रभावित भूखण्डों के लिए नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में इस भाग में रिक्त पड़ी हुई भूमि पर अन्य निर्माण नहीं हो इसके लिए जोन उपायुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।
 2. भविष्य में आबादी विस्तार व सुचारु यातायात के मद्देनजर रेलवे लाईन के समीप 12, 12 मीटर की सर्विस रोड़ को ऐलिवेटेड रोड़ पर बदले व उतरने का प्रावधान रखा जावे।
 3. सजन्डा संख्या 19 के निर्णय के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार भी कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(Handwritten signature)

भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)की 55वीं बैठक दिनांक 24-09-2003 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।
उपस्थित निम्न प्रकार थी:-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्रीमती ऊषा शर्मा	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री महेश जोशी	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3.	माननीय श्री अशोक तंवर	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
4.	माननीय श्री राजेन्द्र महावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	श्री अश्विनी भगत	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ओ.पी.यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री ए.एन. भार्गव	वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
10.	श्री पी. अरविन्द	वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
11.	श्रीमती लवंग शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
12.	श्रीमती दुर्गा जोशी	उपायुक्त जोन-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
13.	श्री एस.एन. तिवाड़ी	उपायुक्त जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14.	श्री मुकेश शर्मा	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
15.	श्रीमती मनीषा अरोड़	उपायुक्त जोन-11-बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
16.	श्रीमती नलिनी कटौतिया	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
17.	श्री प्रेम शंकर शर्मा	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
18.	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
19.	श्रीमती आशा अवस्थी	उपनगर नियोजक, एम.पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
20.	श्री पी. के. मीणा	उपनिदेशक जनसम्पर्क	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।